

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(153/18)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सविता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उपकेन्द्र, सांगटेडा, खण्ड कोटपूतली, जिला जयपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 13.04.2020 से 03.07.2020 तक 82 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 04.07.2020 से 10.08.2020 तक 38 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

६

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 28/11/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(153/18)/2018/4079

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली (जयपुर प्रथम)।
3. प्रधानाचार्य, श्री साईं बाबा नर्सिंग स्कूल, 156, पटेल नगर, झोटवाडा, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर